(61)

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष—अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्रकरण क्र.—— / 014

R - 2849-PBR/14

मेहबूब खां आत्मज स्वर्गीय सकूर खां
आयु लगभग 60 वर्ष
निवासी व कृषक ग्राम बगरौदा
तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. —— आवेदक

विरूद्व

1. श्रीमति खातूनबी पुत्री स्वर्गीय नूर खां
   पत्नि शेखनूर खां आयु लगभग 80 वर्ष
   निवासी—ग्राम बगरौदा तहसील हुजूर
   जिला भोपाल म.प्र.

श्री .... द्वारा आज दि 02-9-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-9-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2. अमीरनबी आयुवयस्क पुत्री स्वर्गीय नूर खां

3. जैतूनबी (मृतक) पुत्री स्वर्गीय नूर खां द्वारा वारीसान

अ— नबी खां आयुवयस्क
आ— वसीर खां आयुवयस्क
ब— रफीक खां आयुवयस्क
स— समीरन आयुवयस्क
द— छोटी आयुवयस्क
इ— सजो आयुवयस्क

8 / Dchaturvedi / 02/9/14

पुत्र एवं पुत्रियां आत्मज धीसे खां
सभी निवासीगण ग्राम श्यामपुर तहसील श्यामपुर,
जिला सीहोर म.प्र.

4. श्रीमति हसनबी पत्नि श्री ईदमोहम्मद आयुवयस्क
   पुत्री स्वर्गीय सकूर खां

5. मकसूद खां आयुवयस्क

6. मकमूल खां आयुवयस्क
   प्रतिअपीलार्थी क्र. 04 से लगायत 06
   पुत्रगण स्वर्गीय सकूर खां
   सभी निवासी—ग्राम बगरौदा तहसील हुजूर
   जिला भोपाल म.प्र. —— अनावेदकगण

—2—

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959।</u>

आवेदक की ओर से माननीय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त–2 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा बटवारा प्रकरण क्र. 40/अ–27/2012–13 पक्षकार खातूनबी व अन्य विरूद्व जैतूनबी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.08.2014 से व्यथित होकर निम्न वैधानिक तथ्यों एवं आधारों पर श्रीमान के समक्ष निगरानी प्रस्तुत है:–

1. यह कि संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि अनावेदकगण श्रीमति खातूनबी, अमीरनबी ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 178 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि ग्राम बगरौदा तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नं. 80/1 रकबा 1.376 हेक्टेयर खसरा नं. 329 रकबा 0.178 हेक्टेयर, खसरा नं. 550 रकबा 3.678 हेक्टेयर कुल रकबा 5.232 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदकगण एवं स्वर्गीय जैतूनबी तथा स्वर्गीय सकूर खां का नाम दर्ज है का बटवारा किया जावे।

2. यह कि प्रस्तुत बटवारा प्रकरण में आवेदक को दिनांक 31.07.2013 की तारीख का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति हेतु नोटिस प्राप्त हुआ था आवेदक दिनांक 31.07.2013 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की थी कि आवेदक के पक्ष में स्वर्गीय नूर खां ने अपने जीवनकाल में दिनांक 25.10.1990 को उनकी सेवा से खुश होकर वसीयतनामा निष्पादित किया है वसीयतनामें की जानकारी अनावेदकगण को है ऐसी स्थिति में भूमि का बटवारा नहीं किया जा सकता है आवेदक के द्वारा यह भी अभिवचन किया गया था कि व्यवहार न्यायालय में व्यवहारवाद प्रचलित है जब तक व्यवहारवाद का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक माननीय राजस्व न्यायालय को बटवारा कराने का अधिकार नहीं है।

3. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक ने अपनी आपत्ति में यह भी अभिवचन किया था कि आवेदक के पिता स्वर्गीय सकूर खां के स्थान पर राजस्व अभिलेखों में उनके वारीसानों का नाम बटवारा प्रकरण में कोई आदेश पारित करने से पूर्व फोती की जावे परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सकूर खां के वारीसानों को राजस्व रिकार्ड में लिये बिना ही प्रकरण में आगे कार्यवाही कर दी गई और फर्द बटान बुलाकर प्रकरण में आवेदक को किसी भी प्रकार से [illegible]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2849 - PBR/14

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-04-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	